FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत **जिला कलेक्टर** मुकाम **कोटा**

एच.डी.बी. फाईनेंस सर्विस ***बनाम*** ***मो0 असलम एण्ड संस एवं अन्य***

(अप्रार्थी) (प्रार्थी)

किस्म मुकद्दमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002, बाबत रोके जाने अवांछित वसूली की कार्यवाही

प्रकरण संख्या 19 वर्ष **2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-02-2020	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित । अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 128/2019 आदेश दिनांक 20.11.2019 से प्रार्थीगण की सम्पत्ति वित्तीय संस्था के बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा वित्तीय संस्था को जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये गये थे, के सम्बन्ध में पेश कर मुख्यरूप से निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक 20.11.2019 जो एकपक्षीय पारित किया गया है, उसे पुनः सुनकर, प्रार्थीगण द्वारा समय समय पर प्रदत्त किये गये ऋण के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रार्थीगण से ली जाकर विधि अनुसार आदेश दिनांक 20.11.2019 एकपक्षीय निरस्त किया जाकर विधि अनुसार निर्णय पारित करने का आदेश प्रदान करें । चूंकि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 128/2019 आदेश दिनांक 20.11.2019 अन्तर्गत The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत आदेश जारी किया गया है । जिसमें वित्तीय संस्था के बंधक सम्पत्ति का भौतिकरूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये पुलिस थाना इमदाद के आदेश दिये गये है । सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत केवल कब्जा सुपुर्दगी बाबत पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने के प्रावधान है, राशि का निर्धारण इस अधिनियम के अर्न्तगत इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है । परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । दायर पंजिका में अंकन किया जावें । पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर की जावें । (ओम कसेरा) जिला कलक्टर, कोटा	

Scanned by CamScanner